रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2005/श्रावण 31, 1927
No. 225] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2005/SRAVANA 31, 1927

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2005

सं. 8-13/2004-एफ पी.—भारत सरकार ने वनों और वन्यजीव क्षेत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए भारत सरकार के संकल्प संख्या का.आ. 143(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2003 और का.आ. 34(अ), दिनांक 6 जनवरी, 2005 के तहत भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल की अध्यक्षता में 6 अगस्त, 2005 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया है। आयोग को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए इस आयोग की निर्धारित अवधि को और छः महीने के लिए अर्थात् 6 फरवरी, 2006 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी. के. प्रसाद, अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd August, 2005

No. 8-13/2004-FP.—To review the working of the Forests and Wildlife Sector, the Government of India has constituted a National Forest Commission under the Chairmanship of Justice B.N. Kirpal, Ex-Chief Justice of India *vide* Government of India Resolution No. S.O. 143(E) dated 7th February, 2003 and S.O. 34(E) dated 6th January, 2005 for the period up to 6th August, 2005. It has been decided to further extend the time prescribed for the Commission to complete its assigned task by another six months i.e. up to 6th February, 2006.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. K. PRASAD, Addl. Director General of Forests

2503 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.